रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17082026-275517
CG-DL-E-17082026-275517

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 664] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 13, 2026/श्रावण 22, 1948
No. 664] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 13, 2026/SHRAVAN 22, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2026

सा.का.नि. 728(अ).— केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 निम्नलिखित प्रपत्र नियम, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1989 (1988 का 59) की धारा 64 के खंडों (क) खंड (चक), (छ), (ज), (झ), (ट), (ठ) ,(ढ), और (त),धारा 88 की उपधारा (14) के खंड (क), तथा धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रपत्र नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

आपत्ति या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रपत्र नियमों के संबंध में इस प्रकार उपरोक्त अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

इन प्रपत्र नियमों के प्रति आपत्ति और सुझाव, यदि कोई हों, अपर सचिव (एमवीएल), ई-मेल: comments-morth@gov.in पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ – (1) इन नियमों को मोटर यान (........संशोधन) नियमावली, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली (सीएमवीआर), 1989 (इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित) में, नियम 33 में,-

(i) नियम 126 के तहत विनिर्दिष्ट परीक्षण एजेंसी के पश्चात्, "या ऑटोमोटिव घटक निर्माता" शब्द प्रतिस्थापित जाएंगे;

(ii) "व्यापार प्रमाण पत्र प्रापण" शब्दों से पूर्व, "या ऑटोमोटिव घटक निर्माता" शब्द प्रतिस्थापित जाएंगे;

(iii) "व्यवसाय के स्थान हैं" शब्दों से पूर्व, "या ऑटोमोटिव घटक निर्माता" शब्द प्रतिस्थापित जाएंगे;

(iv) निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, —

"स्पष्टीकरण— इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "ऑटोमोटिव घटक निर्माता" से तात्पर्य वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा अनुमोदित और ऑटोमोटिव उद्योग के लिए नए उत्पादों के विकास हेतु अनुसंधान एवं विकास में शामिल ऑटोमोटिव घटक निर्माता से है।"

3. उक्त नियमों में, नियम 53ख में, उप-नियम (2) और उसके परंतुकों के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

"(2) उप-नियम (1) के अधीन प्रदान किया गया कोई भी अस्थायी पंजीकरण, धारा 43 के परंतुक के अधीन प्रदान किए गए अस्थायी पंजीकरण के अतिरिक्त, निम्नलिखित अवधि के लिए वैध होगा:

क. यदि चेसिस पर कोई बॉडी नहीं लगी है, तो उसके जारी होने की तिथि से छह माह के भीतर:

बशर्ते कि यदि चेसिस को उक्त छह माह की अवधि से अधिक समय तक कार्यशाला (वर्कशॉप) में बॉडी लगाने के लिए या स्वामी के नियंत्रण से परे किसी अप्रत्याशित परिस्थिति के कारण रोक कर रखा जाता है, तो पंजीकरण प्राधिकारी, स्वामी द्वारा प्रपत्र 20ख में आवेदन प्रस्तुत करने और नियम 81 में विनिर्दिष्ट उचित शुल्क का भुगतान करने पर, प्रारंभिक वैधता अवधि को एक या एक से अधिक बार 30 दिनों के लिए बढ़ा सकता है, जैसा कि पंजीकरण प्राधिकारी उचित समझे;

ख. पूर्णतः निर्मित मोटर वाहन के मामले में, इसके जारी होने की तिथि से पैंतालीस दिन, जो कि:

i. किसी अनुकूलित वाहन में परिवर्तित करने के लिए बदला जाना, या

ii. डीलर जिस राज्य में स्थित है, उसके अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में पंजीकृत होना।

4.उक्त नियमों में, नियम 87 में, —

(i) उप-नियम (1) में, "प्रपत्र 46 से निर्मित और इसके साथ बैंक ड्राफ्ट के रूप में एक हजार रुपये प्रति वर्ष का शुल्क होना चाहिए" शब्दों के स्थान पर, "प्रपत्र 46 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से निर्मित और इसके साथ एक हजार रुपये प्रति वर्ष के शुल्क के भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक रसीद या बैंक ड्राफ्ट के रूप में होना चाहिए" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, —

"(2) प्रत्येक मान्यता प्रपत्र 47 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान किया जाएगा और मान्यता चाहने वाले आवेदक के विकल्प पर एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए प्रभावी होगा, जो एक बार में पांच वर्ष से अधिक नहीं होगा, बशर्ते कि मान्यता प्रदान की गई अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए सोलह हजार पांच सौ रुपये का शुल्क भुगतान किया जाए, जिसे भारत के पूरे क्षेत्र में संचालन के लिए दिए गए परमिट हेतु राष्ट्रीय परमिट खाते में जमा किया जाएगा;"

5.उक्त नियमों में, नियम 88 के उप-नियम (3) में, स्पष्टीकरण के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित जाएगा, अर्थात्,—

"(3क) उप-नियम (1), (2) और (3) में किसी बात के होते हुए भी, बैटरी चालित वाहन, हाइड्रोजन ईंधन आधारित वाहन या किसी भी प्राकृतिक गैस से चलने वाले वाहन के मामले में, उसमें विनिर्दिष्ट आयु सीमा, जैसा भी मामला हो, पाँच वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दी जाएगी।"

6उक्त नियमों में, प्रपत्र 16 में,—

(i) पहले पैराग्राफ में,—

(क) "मैं/हम" शब्दों के पश्चात्, "डीलरशिप मान्यता प्रमाण पत्र संख्या ………… के साथ प्रपत्र 16क के धारक" शब्द और विराम चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) "व्यापार प्रमाणपत्र जारी करने/नवीनीकरण के लिए आवेदन करते हैं:" शब्दों और विराम चिह्न के पश्चात्, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित जाएगा, अर्थात्:—

"टिप्पणीः डीलरशिप मान्यता प्रमाण पत्र संख्या प्रदान करने पर, क्रमांक 1, 2, 2क और 4 में दी गई सूचना वाहन पोर्टल से स्वतः प्राप्त हो जाएगी।

(ii) तालिका में क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"2.	वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पंजीकरण संख्या:	…………………………………………
2क.	स्थाई खाता संख्या (पैन):	…………………………………………
2ख.	उद्यम आधार (यदि लागू हो):	………………………………
2ग.	कंपनी पहचान संख्या (सीआईएन) (यदि लागू हो)	………………………………"

7. उक्त नियमों में, प्रपत्र 20 में,—

(i) क्रम संख्या 5(क) में वाहन "स्वामी का मोबाइल नंबर" शब्दों से पूर्व, "आधार से जुड़ा हुआ" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) नोट के खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

"(ii) ……. के पक्ष में दृष्टिबंधक के अधीन, जिसका करार संख्या/ऋण खाता संख्या ………………… है।"

(iii) अंतिम पैराग्राफ में, "प्रपत्र 23 और 24" शब्दों और अंकों के स्थान पर "प्रपत्र 24" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

8. उक्त नियमों में, प्रपत्र 21 के भाग IV में, "वाहन को…….के साथ किराया-खरीद/पट्टा/दृष्टिबंधक करार के तहत रखा गया है" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्, —

यह वाहन ………….. के साथ किराया-खरीद/पट्टा/दृष्टिबंधक करार के तहत है, जिसकी करार संख्या/ऋण खाता संख्या……….. है।

9. उक्त नियमों में, प्रपत्र 34 में, अंतिम पैराग्राफ में, "प्रपत्र 23 और 24" शब्दों और अंकों के स्थान पर "प्रपत्र 24" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

10. उक्त नियमों में, प्रपत्र 35 में, —

(i) प्रथम पैराग्राफ में, "किराया-खरीद/पट्टा/गिरवी" शब्दों के पश्चात्, जिसकी "करार संख्या/ऋण खाता संख्या…है" शब्द प्रतिस्थापित जाएंगे;

(ii) अंतिम पैराग्राफ में, "प्रपत्र 23 और 24" शब्दों और अंकों के स्थान पर "प्रपत्र 24" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

11. उक्त नियमों में, प्रपत्र 46 में, —

(i) क्रम संख्या 1 से पूर्व, "वाहन की पंजीकरण संख्या:" शब्द और विराम चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) क्रम संख्या 10 के पश्चात् निम्नलिखित को प्रतिस्थापित जाएगा,—

"**टिप्पण:** वाहन की पंजीकरण संख्या प्रदान करने पर, उपर्युक्त प्रविष्टियों में दी गई सूचना, जहां उपलब्ध हो, वाहन पोर्टल से स्वतः प्राप्त कर ली जाएगी; अन्य मामलों में, यह सूचना आवेदक द्वारा प्रदान की जाएगी।"

(iii) क्रम संख्या 12 को विलोपित किया जाएगा, और क्रमांक 13 को क्रमांक 12 के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 12 में इस प्रकार पुनः क्रमांकित किया गया,—

(क) प्रविष्टि (क) में, "मैं/हम बैंक ड्राफ्ट संलग्न करते हैं" शब्दों के पश्चात् "भुगतान की इलेक्ट्रॉनिक रसीद" शब्द प्रतिस्थापित जाएंगे;

(ख) प्रविष्टि (ख) में, "मैं/हम राष्ट्रीय परमिट के लिए समेकित शुल्क के रूप में 16,500/- रुपये के भुगतान की रसीद संलग्न करते/करते हैं" शब्दों के स्थान पर "मैं/हम उस अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए 16,500/- रुपये की दर से गणना किए गए शुल्क के भुगतान की रसीद संलग्न करते/करते हैं जिसके लिए मान्यता मांगी गई है" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(vi) "हस्ताक्षर" शब्द के पश्चात्, "या अंगूठे का निशान" शब्द विलोपित किए जाएँगे।

12.उक्त नियमों में, प्रपत्र 48 में, —

(i) क्रम संख्या 1 से पूर्व, "वाहन की पंजीकरण संख्या:" शब्द और विराम चिह्न प्रतिस्थापित जाएंगे;

(ii) क्रम संख्या 5 और 6 के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्,—

"5. विवरण:

क. वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र: …………………

ख. वैध बीमा प्रमाणपत्र: …………………

ग. वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसी) प्रमाणपत्र: …………………

घ. वैध फिटनेस प्रमाणपत्र: …………………

ङ. लंबित चालान का ब्यौरा: …………………

6. मोटर वाहन के संबंध में यदि पूर्व में कोई राष्ट्रीय परमिट प्राप्त हुआ हो तो उसका विवरण ……………………….."

(iii) क्रम संख्या 7 में, "अन्य परमिटों का विवरण" शब्दों के स्थान पर, "राष्ट्रीय परमिटों के अतिरिक्त अन्य परमिटों का विवरण" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iv) क्रम संख्या 8, 12 और 14 का विलोपन किया जाएगा, और क्रम संख्या 9, 10, 11 और 13 को क्रमशः क्रम संख्या 8, 9, 10 और 11 के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा;

(v) "दिनांक" शब्द से पूर्व निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित जाएंगे, अर्थात्, —

"नोट: वाहन की पंजीकरण संख्या प्रदान करने पर, उपर्युक्त प्रविष्टियों में दी गई सूचना, यदि उपलब्ध हो, तो वाहन पोर्टल से स्वतः प्राप्त कर ली जाएगी; अन्य मामलों में, यह सूचना आवेदक द्वारा प्रदान की जाएगी।"

(vi) "हस्ताक्षर" शब्दों के पश्चात्, "या अंगूठे का निशान" शब्द का विलोपन किया जाएगा।

[फा. सं .आरटी-11036/57/2024-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार सा.का.नि. ....(अ) दिनांक ___________ *द्वारा* संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2026

G.S.R.728(E).— The following draft rules to further amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 39, clause(s) (a), (fa), (g), (h), (i), (k), (l), (n) and (p) of Section 64, clause (a) of sub-section (14) of section 88, and section 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the public.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL), email: comments-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

Draft Rules

1. Short title and commencement— (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (……………Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force from the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred as said rules), in rule 33,—

(i) after the words "testing agency specified under rule 126", the words "or automotive component manufacturer" shall be inserted;

(ii) before the words "obtains a trade certificate", the words "or automotive component manufacturer" shall be inserted;

(iii) before the words "have places of business", the words "or automotive component manufacturer" shall be inserted;

(iv) the following Explanation shall be inserted, namely,—

"*Explanation*.— For the purposes of this rule, "automotive component manufacturer" means an automotive component manufacturer approved by the Department of Scientific and Industrial Research and involved in research and development for developing new products for the automotive industry."

3. In the said rules, in rule 53B, for sub-rule (2) and the provisos thereof, the following sub-rule shall be substituted, namely,—

"(2) Any temporary registration granted under sub-rule (1), other than a temporary registration granted under proviso to section 43, shall be valid for a period of:

a. six months from the date of its issue, in case of a chassis to which a body has not been attached:

Provided that where the chassis is detained in a workshop beyond the said period of six months for being fitted with a body or due to any unforeseen circumstances beyond the control of the owner, the registering authority may, on submission of application in Form 20B and payment of appropriate fee as specified in rule 81 by the owner, extend the initial period of validity one or more times by 30 days each, as the registering authority may deem fit;

b. forty-five days from the date of its issue, in case of fully built motor vehicle which is:

i. to be altered for conversion to an adapted vehicle, or

ii. to be registered in a State other than the State in which the dealer is situated.".

4. In the said rules, in rule 87, —

(i) in sub-rule (1), for the words "made in Form 46 and shall be accompanied by a fee of rupees one thousand per annum in the form of a bank draft", the words "made electronically in Form 46 and shall be accompanied by an electronic receipt towards payment of fee of Rupees one thousand per annum or in the form of a bank draft" shall be substituted;

(ii) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely, —

"(2) Every authorisation shall be electronically granted in Form 47 and shall be effective for a period of one year or more, at the option of the applicant seeking authorisation, not exceeding five years at a time, subject to payment of a fee of Rupees Sixteen thousand five hundred for each year of the period for which the authorisation is granted, to be deposited in the national permit account for the permit granted to operate throughout the territory of India;"

5. In the said rules, in rule 88, in sub-rule (3), after the Explanation, the following sub-rule shall be inserted, namely,—

"(3A) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2), and (3), in the case of a battery operated vehicle, hydrogen fuel based vehicle or any natural gas driven vehicles, the age limits specified therein, as the case may be, shall stand extended by a period of five years."

6. In the said rules, in Form 16,—

(i) In the first paragraph,—

(a) after the words "I/We", the words and punctuation ", holder of Form 16A with dealership authorisation certificate number…………" shall be inserted;

(b) after the words and punctuation mark "hereby apply for issue of/renewal of a trade certificate(s):", the following shall be inserted namely:—

"Note: Upon providing the dealership authorisation certificate number, details in serial numbers 1, 2, 2A and 4 shall be auto fetched from VAHAN portal."

(ii) In the table, for serial number 2 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:—

"2.	GST registration number:	…………………………………….
2A.	PAN:	…………………………………….
2B.	Udyam Aadhaar (if applicable):	…………………………….
2C.	Corporate Identification Number (CIN) (if applicable)	…………………………….”

7. In said rules, in Form 20,—

(i) in Serial Number 5(A), before the words “Mobile number of the owner of the vehicle”, the words “Aadhar linked”, shall be inserted;

(ii) for clause (ii) of the Note, following shall be substituted, namely,—

“(ii) Subject to hypothecation in favour of ...., having agreement number/loan account number ………………….”

(iii) in the last paragraph, for the words and figures “Forms 23 and 24”, the words and figures “Form 24”, shall be substituted.

8. In said rules, in Form 21, in Part IV, for the words "The vehicle is held under the agreement of hire-purchase/ lease/ hypothecation with........", the following shall be substituted, namely,—

"The vehicle is held under the agreement of hire-purchase/ lease/ hypothecation with.............. having agreement number/loan account number...........".

9. In the said rules, in Form 34, in the last paragraph, for the words and figures “Forms 23 and 24”, the word and figures “Form 24”, shall be substituted.

10. In the said rules, in Form 35,—

(i) in the first paragraph, after the words “hire-purchase/ lease/ hypothecation”, the words “having agreement number/ loan account number…..”, shall be inserted;

(ii) in the last paragraph, for the words and figures “Forms 23 and 24”, the word and figures “Form 24”, shall be substituted.

11. In the said rules, in Form 46,—

(i) before serial number 1, the words and punctuation “Registration number of the vehicle:” shall be inserted;

(ii) after serial number 10, the following shall be inserted,—

“**Note**: Upon providing Registration Number of the vehicle, details in the aforesaid entries shall, where available, be auto-fetched from the VAHAN portal; in other cases, the same shall be furnished by the applicant.”

(iii) serial number 12 shall be omitted, and serial number 13 shall be re-numbered as serial number 12;

(iv) in serial number 12 so re-numbered,—

(a) in entry (a), after the words “I/We enclose bank draft(s)” the words “/ electronic receipt of payments” shall be inserted;

(b) in entry (b), for the words “I/We enclose the receipt towards payment of Rs. 16,500/- as consolidated fee for National Permit”, the words “I/We enclose the receipt towards payment of the fee calculated at the rate of Rs. 16,500/- for each year of the period for which the authorisation is sought” shall be substituted;

(vi) after the word “Signature”, the words “or thumb impression” shall be omitted.

12. In the said rules, in Form 48,—

(i) before serial number 1, the words and punctuation “Registration number of the vehicle:” shall be inserted;

(ii) for serial numbers 5 and 6, the following serial numbers shall be substituted, namely,—

“5. Details of:

a. Valid Registration certificate: …………………

b. Valid Insurance certificate: ………………….

c. Valid PUC certificate: …………………

d. Valid fitness certificate: …………………

d. Pending challan history: …………………

6. Details of national permits if previously held in respect of the motor vehicle ……………………….”

(iii) in serial number 7, for the words “Details of other permits”, the words “Details of other than national permits” shall be substituted;

(iv) serial numbers 8, 12 and 14 shall be omitted, and serial numbers 9, 10, 11 and 13 shall be re-numbered as serial numbers 8, 9, 10 and 11, respectively;

(v) before the word “Date”, the following shall be inserted, namely, —

“**Note**: Upon providing Registration Number of the vehicle, details in the aforesaid entries shall, where available, be auto-fetched from the VAHAN portal; in other cases, the same shall be furnished by the applicant.”

(vi) after the words “Signature”, the words “or thumb impression” shall be omitted.

[F. No. RT-11036/57/2024-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section(i) *vide* G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* G.S.R. …..(E) dated the ……………….

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA